राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	उपस्थित अभिभाषकगण का नाम
1.	6095/2022 राजेश अहलुवालिया	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर। 3. जिला कलेक्टर, (भू–अभिलेख) झुन्झुनू। 4. राजेश बलोदा, वर्तमान पदस्थापन अपीलार्थी के स्थान पर आईएलआर सर्किल, झुन्झुनू।	श्री अशोक बंसल अपीलार्थी की ओर से श्री संदीप कलवानिया, निजी प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से
2.	5958/2022 (944/2022) राजेश बलोदा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर। 3. जिला कलेक्टर, (भू–अभिलेख) झुन्झुनू। 4. राजेश अहलूवानिया, भू–अभिलेख निरीक्षक, ऑफिस कानूनगो, चिडावा, झुन्झुनू।	श्री संदीप कलवानिया, अपीलार्थी की ओर से श्री अशोक बंसल, निजी प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से

आदेश की दिनांक : 09.01.2023

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त दोनों अपीलों में विधि का समान प्रश्न निहित होने के आधार पर हम उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण इस एकल आदेश के द्वारा करना न्यायहित में उचित समझते हैं।

2. **अपील संख्या**–5958/2022 (944/2022)– के अपीलार्थी राजेश बालोदा ने यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 07.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वृत्त झुन्झुनू तहसील झुन्झुनू से ऑफिस कानूनगो तहसील चिडावा में किया गया और आदेश दिनांक 07.11.2022 के द्वारा उसे कार्य मुक्त किया गया। इस अपील में मुख्य रूप से अपीलार्थी ने यह आपत्ति ली है कि अपीलार्थी को भू अभिलेख निरीक्षक, झुन्झुनू तहसील झुन्झुनू में दिनांक 30.10.2022 को पदस्थापित किया गया था और उसके मात्र 7 दिवस की अल्पावधि में ही अपीलार्थी को पुनः स्थानान्तरित किया गया है, जो अनुचित व विधि विरूद्ध है। उक्त अपील में अपीलार्थी के पक्ष में अधिकरण द्वारा दिनांक 16.11.2022

को अंतरिम स्थगन आदेश पारित करते हुए यह निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा एवं अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखे जाने का आदेश दिया गया जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने के पूर्व कार्यरत था।

3. अपील संख्या–6095/2022 के अपीलार्थी राजेश अहलूवालिया ने यह तथ्य अंकित किये है कि माननीय अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.11.2022 पारित होने के पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 24.11.2022 पारित किया है, जिसके द्वारा राजेश बालोदा (निजी प्रत्यर्थी) भू–अभिलेख निरीक्षक को वृत्त झुन्झुनू, तहसील झुन्झुनू के पद पर तथा अपीलार्थी राजेश आहलूवालिया का स्थानान्तरण वृत्त झुन्झुनू से ऑफिस कानूनगो, तहसील चिडावा के पद पर किया गया। इस अपील में अपीलार्थी राजेश आहलूवालिया का कथन रहा है कि पूर्व में आदेश दिनांक 30.10.2022 के द्वारा राजेश बलोदा का स्थानान्तरण आफिस कानूनगो, तहसील मंडावा स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए वृत्त झुन्झुनू, तहसील झुन्झुनू में एवं राजेश आहलूवालिया का वृत्त झुन्झुनू, तहसील झुन्झुनू से ऑफिस कानूनगों तहसील चिडावा में किया गया था। इसके उपरान्त अन्य आदेश दिनांक 07.11.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा राजेश बालोदा का स्थानान्तरण वृत्त झुन्झुनू तहसील झुन्झुनू से ऑफिस कानूनगो तहसील चिडावा में किया गया और अपीलार्थी राजेश आहलूवालिया का भू अभिलेख निरीक्षक, वृत्त झुन्झुनू से ऑफिस कानूनगो, चिडावा में किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया गया।

4. अपील संख्या–6095/2022 के अपीलार्थी का कथन है कि अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश के कारण आलोच्य ओदश दिनांक 24.11.2022 पारित किया गया है, जो गलत व नियमों के विपरीत है, क्योंकि अपीलार्थी की अपील लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी के सम्बन्ध में पदस्थापन आदेश को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.11.2022 को अपीलार्थी के सम्बन्ध में अपास्त किया जावे। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत राजेन्द्र सिंह

बनाम राजस्थान राज्य व अन्य 2006(1) डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) पेज 486 प्रस्तुत किया।

5. हमने विद्वान् अधिवक्तागणों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली व प्रस्तुत विनिश्चय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

6. अपील संख्या–5958/2022 (944/2022) में अपीलार्थी राजेश बलोदा ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.11.2022 (अनुलग्नक–1 व 2) को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उसका स्थानान्तरण मात्र सात दिवस की अल्पावधि में ही किया गया है और इस आधार पर अधिकरण द्वारा उसके पक्ष में अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया। इस कारण झुन्झुनू तहसील, झुन्झुनू में ही अपीलार्थी कार्यरत रहा। इसका निराकरण आदेश दिनांक 24.11.2022 पारित कर (अपील संख्या–6095/2022 के अपीलार्थी) राजेश आहलूवालिया को अन्यत्र ऑफिस कानूनगो चिडावा के पद पर पदस्थापित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत राजेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में यह माना है कि अपील के लम्बित रहने के दौरान नया आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है। इसके अलावा इस अधिकरण में यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी राजेश बलोदा के सम्बन्ध में अल्पावधि में ही स्थानान्तरण आदेश पारित किया गया, जो उचित प्रकट नहीं होता है।

7. ऐसे में उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपील संख्या 6095/2022 से सम्बन्धित आलोच्य आदेश दिनांक 24.11.2022 को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी राजेश बलोदा व राजेश आहलूवालिया के सम्बन्ध में प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार एक माह की अवधि में नये सिरे से पदस्थापन आदेश पारित करे।

8. उपरोक्त आदेश के साथ दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)